

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2014/00713

मुकदमा नम्बर 137/2014

दायर दिनांक-09.07.2014

1. रतनी देवी पत्नी स्व. वजरंगलाल
2. विनोद कुमार
3. नरेन्द्र कुमार
4. होशियार सैनी
5. जगविन्दर
6. सोनू पुत्रान स्व. वजरंगलाल, जाति माली निवासी ग्राम जांटवाली ,तहसील नवलगढ़
7. सुनीता
8. शीला पुत्रियां वजरंगलाल, जाति माली निवासी ग्राम जांटवाली ,तहसील नवलगढ़

..... वादी

बनाम

1. देवकीनन्दन पुत्र स्व. किशनदत्त
2. संजय पुत्र स्व. किशनदत्त
3. संजीव कुमार पुत्र स्व. हरीराम
4. केदारमल पुत्र स्व. दामोदर
5. लैण्ड हॉल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..... प्रतिवादीगण।

दावा घोषणार्थ ,विभाजन,रिकार्ड दुरुस्ति

प्रतिनिधत्व:-

वकीलवादी- श्री विप्लव पण्डित

वकील प्रतिवादी- एक पक्षीय

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 8/10/2024

वाद वादी दिनांक 24/05/2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./223/2920 दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नवशा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जाये। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुगार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमौल कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला- झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
 श्री जयसिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.
 जीएसएम नं. 2014/00713
 मुकदमा नम्बर 137/2014

दायर दिनांक-09.07.2014

(रतनी देवी बनाम देवकीनन्दन वगै0)
 दावा घोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरुस्ति


यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जयसिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 24/05/2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्रों कास्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने वावत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./223/2920 दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुवलिग.....-..... वावत.....-..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-..... का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 08 माह | 0 सन 2024 को जारी की गई।


 उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
वावत इजराय हुक्मनामा	-	वावत इजराय हुक्मनामा	-
मुताफरिक मिजान	0.00	मुताफरिक मिजान	0.00